न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 241/2013 **दायरा दिनांक : 25.10.2013**

उनवान

मन्दिर श्री हनुमान जी महाराज खातेदार जर्ये संरक्षक पुजारी नरसिंहदास आत्मज किशनदास, जाति बैरागी, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— रामकल्याण (मृतक) पुत्र प्रभूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ के कायम मुकामान :—

1/1— ऊंकार लाल पुत्र रामकल्याण, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/2— राजेन्द्र पुत्र रामकल्याण, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

1/3— पुष्पा बाई बेवा रामकल्याण, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2— किशन पुत्र बाला, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3— मोती पुत्र कंवर लाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4— रामस्वरूप पुत्र बद्री लाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

5— बजरंग लाल पुत्र लटूर लाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

6— प्रभूलाल पुत्र मोतीलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

7— खेमा पुत्र नन्द लाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

8— मुकट पुत्र भैरूलाल, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

9— गोरधन पुत्र नारायण, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

10— मोहनलाल पुत्र गोविन्दा, जाति माली, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11— शंकरलाल पुत्र घासीलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

11/1— बृजमोहन पुत्र शंकरलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11/2— नवल किशोर पुत्र शंकरलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11/3— प्रेम बाई पुत्री शंकरलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11/4— सुशीला पुत्री शंकरलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

11/5— मोलकी पुत्री शंकरलाल, जाति खाती, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

12— मनोज पुत्र भंवर लाल जाति ब्राहमण, निवासी सारोलाकलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

13— राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री पूरीलाल राठौर अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री इन्द्र लाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 22.10.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 407/2008 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया कि ग्राम सारोला में खसरा नम्बर 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 1108 कुल 8 किता की 12 बीघा 4 बिस्वा आराजी स्थित है जिस पर रेस्पोडेंट प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करना चाहते हैं । इसलिए उनको स्थायी निषेधाज्ञा से आराजी पर कब्जा नहीं करने के लिए पाबन्द किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने वाद के विचारण में मूर्ति हनुमान जी के खाते की आराजी की सुरक्षा व संरक्षा को ध्यान में नहीं रखते हुए केवल मन्दिर का कौन पुजारी है इस तथ्य के विचारण पर अपना निष्कर्ष निकाला है । जबकि सिविल न्यायालय खानपुर में पुजारी के बाबत सिविल वाद पेश है । रेस्पोडेंट के द्वारा एक ट्रस्ट के अस्तित्व को स्वीकार कर तनकी नम्बर 6 गलत रूप से निर्णीत की है । अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट के बताये एक ट्रस्ट के अस्तित्व को स्वीकार किया किन्तु वह ट्रस्ट आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी आदेश 1 नियम 10 जा0 दी0 में अपनी शक्तियों को प्रयोग में नहीं लेते हुए उसे पक्षकार नहीं बनाया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय राजस्व विधि के सिद्धांतों के खिलाफ होने से निरस्त होने योग्य

है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 अपास्त किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट अपना पक्ष सिद्ध करने में असफल रहा है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.09.2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा